

Case No : 2895

Pages : 5

Date of opening: 12-7-2023

Date of closing: 29-7-23

Regd Post

DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION
VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING
H.P., SUNDERNAGAR, DISTT. MANDI,

No.STV(TE)H-G(1)22 -RTI/2009-Misc- 47389

Dated: 29/07/2023

To

Sh. Suraj Thakur, S/o Sh. Vikram Chand,
House No. 141, Ward No.-8,
Bharampuri Mohala, VPO & Tehsil Sujanpur,
Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh.
Mob. 70182-53309.

Sub: Regarding Information under RTI Act- 2005.

Sir,

Kindly refer to your application under RTI Act 2005 received in this office. In this regard, it is intimated that information in the records consisting 01 page as received from the deemed PIO which stand duly authenticated is enclosed herewith for your kind perusal please.

In case, if you are not satisfied with the information, you have a right to prefer appeal before the First Appellate Authority (Director, Technical Education, Vocational and Industrial Training, Sundernagar, (HP) within a period of 30 days.

Encls-: As above (01 page)

(S.K. Gautam)

Joint Director-cum-PIO

Technical Education

Vocational & Industrial Training,
H.P., Sundernagar, Distt. Mandi.

Mail & Post

OFFICE OF THE PRINCIPAL
GOVT. POLYTECHNIC HAMIRPUR (HP)

Telefax: 01972-258509, Email: gp-ham-hp@gov.in

No. GPH/RTI/2022-
To

Dated:- 14/07/23

The Joint Director cum PIO
Technical Education,
Vocational & Industrial Training,
HP Sundernagar Distt. Mandi.

Subject:- Regarding Information under RTI Act-2005.

Sir,

I have honour to refer your office letter No. STV(IT)HB(5)111/RTI/2009-45274 dated 14/07/2023 on the subject cited above. In this regard, the requisite information pertaining to Govt. Polytechnic Hamirpur is as appended below:-

क्रम संख्या	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
1.	राकेश कुमार सपुत्र श्री कांशीराम गाँव मोही डाक मोही तहसील हमीरपुर जिला हमीरपुर हि0प्र0 जोकि पॉलिटेक्निकल कॉलेज बडू में लिपिक के पद पर कार्यरत है उनका चयन किस आधार पर हुआ था उसकी प्रक्रिया, उनको वित्तीय लाभ क्या क्या मिलेंगे कितने वर्षों बाद उनको नियमित किया जाएगा और किस अधिनियम के तहत इन सभी की प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाई जाए।	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 8 (I) (e) के अर्न्तगत मांगी गई सूचना साझा नहीं की जा सकती है।
2.	राकेश कुमार की जब नियुक्ति की गई थी वह किस दिनांक को हुई थी तथा नियमित किस दिनांक को किया गया था और किस आधार पर उसकी प्रक्रिया और उनके नियुक्ति पत्र इन सबकी प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाई जाए।	

This is for your information and further necessary action please.

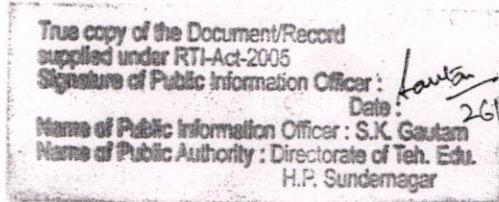
Yours faithfully

(Er. Satish Dhingra)

Principal

Govt. Polytechnic

Hamirpur (HP).





सेवा में

जन सूचना अधिकारी

प्रधानाचार्य पॉलीटेक्निक कॉलेज बड़

जिला हमीरपुर।

विषय- सूचना का अधिकार 2005 के तहत आवेदन।

महोदय,

तकनीकी शिक्षा विभाग और औद्योगिक प्रशिक्षण पॉलीटेक्निक कॉलेज बड़ जिला हमीरपुर राज्य हिमाचल प्रदेश के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाए।

1. राकेश कुमार सपुत्र श्री कांशीराम । गाँव मोही डाक. मोही, तहसील हमीरपुर जिला हमीरपुर हि.प्र. जोकि पॉलिटैक्निकल कॉलेज बड़ में लिपिक के पद पर कार्यरत है उनका चयन किस आधार पर हुआ था उसकी प्रक्रिया, उनको वित्तीय लाभ क्या-क्या मिलेंगे कितने वर्षों बाद उनको नियमित किया जाएगा और किस अधिनियम के तहत इन सभी की प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाई जाए!

2. राकेश कुमार की जब नियुक्ति की गई थी वह किस दिनांक को हुई थी तथा नियमित किस दिनांक को किया गया था और किस आधार पर उसकी प्रक्रिया और उनके नियुक्ति पत्र इन सबकी प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाई जाए।

मैं आवेदन शुल्क के रूप में आपको ₹50 का भारतीय पोस्टल आर्डर उपलब्ध करवा रहा हूँ जिसकी संख्या 966328704 है। मैं आपके पास अतिरिक्त शुल्क उपलब्ध करवा रहा हूँ ताकि मेरे द्वारा मांगी गई सूचना पर जो भी खर्च हो आप यहां से अदा कर सकें।

नीचे दी गई जानकारी आपके सूचना और विचार के लिए है-

1. यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों के समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें।
2. सूचना का अधिकार 2005 की धारा 7 की उपधारा 8(3) और 7 की उप धारा 3(2) के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाते समय आप मुझे प्रथम अपील अधिकारी का पद नाम व पता अवश्य बताएं।
3. सूचना का अधिकार 2005 की धारा 7(9) के अनुसार, मैं लोक सूचना अधिकारी से निवेदन करता हूं की जानकारी जिस रूप में मांगी जा रही है उसी रूप में प्रदान करें।
4. सूचना का अधिकार 2005 की धारा 7(1) के अनुसार मैं लोक सूचना अधिकारी से निवेदन करता हूं कि वह अनुरोधित जानकारी 30 दिनों के भीतर प्रदान करें।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (8) के अनुसार मेरे आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, मैं लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करता हूं की इस तरह की अस्वीकृति का कारण बताएं एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 5 के किस धारा के अनुसार आवेदन अस्वीकृत किया गया है यह भी बताएं।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(जे) के अनुसार ऐसी सूचना जिसे संसद या राज्य विधानमंडल में नकारा नहीं जा सकता, सूचना से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता।
7. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (2) के अनुसार 30 दिनों के भीतर कोई निर्णय प्राप्त नहीं होने की स्थिति में लोक सूचना पदाधिकारी ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, माना जाएगा।
8. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (2) के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना या किसी अन्य का अनुरोध करने के लिए कोई कारण या व्यक्तिगत विवरण बताने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय उनके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

घोषणा:

10

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी भी मामले में और किसी के तहत प्राप्त जानकारी का उपयोग या प्रसारित किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी तरीके से नहीं करूँगा जो एकता के लिए हानिकारक हो और संप्रभुता या भारत के हित के खिलाफ हो।

सादर धन्यवाद

भवदीय

Suraj Thakur

सूरज ठाकुर सपुत्र श्री विक्रम चंद

हाउस न 141 वार्ड नं -8

भ्रमपुरी मोहल्ला , गांव/ डाकघर - सुजानपुर,

तहसील सुजानपुर , जिला हमीरपुर (176110)

दिनांक- 30/06/23 .

संपर्क सूत्र- 7018253309